

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,
उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप
से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



रीना चौहान

Reena Chauhan

सहायक कोसुलर अधिकारी

Assistant Consular Officer

भारत का राजदूतावास

Embassy of India

मस्कत / Muscat



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते


पासपोर्ट
PASSPORT

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। This Passport contains 36 pages.



41413961

1303241114







W1413961

पिता / कानूनी अनिभावक का नाम/ Name of Father / Legal Guardian

FRANCIS

माता का नाम/ Name of Mother

THRESIA

पति या पत्नी का नाम/ Name of Spouse

VINIMOL REGIN

पता / Address

CHOWALLOOR HOUSE**PAVARATTY PO,THRISSUR****PIN:680507,KERALA,INDIA**

पुलाने पासपोर्ट का न. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

K6165322**21/11/2012****COCHIN**

फाईल न. / File No.

OM0074785191522

14.1.1961

14.1.1961

प्राक्तिकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकाटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी दैश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक का उसके द्वारा प्राधिकृत व्यवित के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकाटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अद्यता यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकाटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही डुन्कीफेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.